FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी,सवाई माधोपुर

अदालत.......................... मु..

........नान प्रसाद .... बनाम .... प्रकार.........

मुकदमा...... काश्तकारी अधि० 1955 ...... धारा 225 .... सन्...2022

क्रम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22	पत्रावली अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 13.09.2022 के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत वाद जांच रिपोर्ट पेश हुई रिपोर्ट संरिस्ता का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर में इस आशय पेश किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 277 रकबा 1.86 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 370 में कुल रकबा 2.01 है, ग्राम श्योपुरा तहसील सवाई माधोपुर में परिवर्तन किया जावे, परन्तु अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 की उप धारा 2 में प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 13.09.2022 को निरस्त फरमावें एवंम् अपीलांट अपील स्वीकार फरमाई जावें। हमारे द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 1.86 व खसरा नम्बर 737/279 रकबा 0.15 है, वाके ग्राम करमापुर में स्थित है, हनुमान पुत्र सांवलिया जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 370 रकबा 3.77 है। सिवाईचक वाके ग्राम श्योपुरा में स्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48(2) के प्रावधान इस प्रकार है। **48 Exchange of land-** (2) A landhonder may in agreement with a tenant give such tenant land other than land which is let, in exchange for land which is included in such tenant's holding. उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट है कि धारा 48(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी एक ही भूमिधारी के अधीन समान वर्ग के काश्तकारों द्वारा भूमि का विनिमय करने के लिए ही अधिकृत है, और इस दशा में भूमिधारी की लिखित सहमति आवश्यक है। भूमिधारी की सहमति के द्वारा काश्तकार अपनी भूमि का विनिमय कर सकता है। यहां पर प्रकरण भूमिधारक व काश्तकार के मध्य है। इस कारण राजकीय सिवाईचक भूमि का विनिमय करने की स्थिति में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी **भूमिधारक** नही है। राजकीय सिवाईचक भूमि के विनिमय की स्वीकृति केवल राज्य सरकार द्वारा ही दी जा सकती है। इस मत को 1968 आर.आर.डी. पेज नम्बर 7, 1980 आर.आर.डी. पेज नम्बर 243, 1979 आर.आर.डी. पेज नम्बर 509 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है ।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.28 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील

हुक्म

जो इस प्रकार है:–

"A Tehsildar or sub Divisional Officer is not a landholder in case of Government land. Both these officers, therefore cannot sanction exchange of Government land. State Government alone can sanction exchange of Government land."

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विधिक रूप से क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलांट वाद पत्र धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 30/2021 निर्णय दिनांक 13.09.2022 को विधिक रूप से सही खारिज किया गया है। इसमे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। आदेश आज दिनांक 17.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.28 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested